

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. २०६४३/22/वि-12/ग्रासप्रा/प्रशा./2018

भोपाल, दिनांक ०५/10/2018

प्रति,

- (1) क्षेत्रिय मुख्य महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
..... (म.प्र.)
- (2) महाप्रबंधक (समस्त)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
..... (म.प्र.)

विषय: प्राधिकरण मुख्यालय/मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों एवं संविदाकारों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुरस्कृत करने हेतु म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास पुरस्कार योजना वर्ष 2018-19 के मापदण्ड।

—00—

विषयान्तर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास पुरस्कार योजना वर्ष 2018-19 के मापदण्ड तैयार किये जाकर आपको प्रेषित है। कृपया पुरस्कार योजना एवं इसके मापदण्डों से सभी संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें। योजना में निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के अन्तर्गत जानकारी मुख्यालय को प्रेषित करें। पुरस्कार योजना एवं इसके मापदण्डों की सम्पूर्ण जानकारी इस प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(उमाकांत पाण्डेय)

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ.क्र. २०६४४/22/वि-12/ग्रासप्रा/प्रशा./2018

भोपाल, दिनांक ०५/१०/2018

प्रतिलिपि:

1. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबंधक/शाखा प्रभारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

प्राधिकरण मुख्यालय/मुख्य महाप्रबंधक कार्यालयों एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों एवं सविदाकारों को पुरस्कृत करने के लिए म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास पुरस्कार योजना वर्ष 2018-19।

1. परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में पुरस्कार हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :-

(अ) महाप्रबंधकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किये जाने बाबत मापदण्ड:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना		
1. पी.एम.जी.एस.वाय. कार्यों हेतु दिये गये वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि	-	10 अंक
2. पी.एम.जी.एस.वाय. कार्यों हेतु दिये गये भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि	-	25 अंक
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत न्यू टेक्नालॉजी में वर्ष 2018-19 में दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त की गई उपलब्धि	-	10 अंक
4. वर्ष 2018-19 में पूर्णता प्रमाण पत्र (सी.सी.) जारी होने के दो माह के भीतर किये गये फाइनैशियल क्लोजर - (दिनांक 01/04/2018 तक जारी किये गये सी.सी. एवं वर्ष 2018-19 में जारी सी.सी. में सम्मिलित कुल पैकेजों के विरुद्ध 31/03/2019 तक समय सीमा में फाइनैशियल क्लोजर किये गये पैकेज)	-	5 अंक
5. पी.एम.जी.एस.वाय. के कार्यों में एन.क्यू.एम. के निरीक्षण किये गये प्राप्त यू ग्रेड हेतु ऋणात्मक मार्किंग (1 यू ग्रेड हेतु 3 ऋणात्मक अंक 2 या 2 से अधिक यू ग्रेड होने पर अवार्ड हेतु शार्टलिस्ट हेतु विचार नहीं किया जावेगा)।	-	-3
राज्य स्तर की अन्य योजनाएं		
1. राज्य स्तर की अन्य सभी योजनाओं के कार्यों हेतु दिये गये वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धि	-	10 अंक
2. राज्य स्तर की अन्य सभी योजनाओं के कार्यों हेतु दिये गये भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धि	-	10 अंक
3. राज्य स्तर की अन्य योजनाओं के कार्यों में एन.क्यू.एम. के निरीक्षण किये गये प्राप्त यू ग्रेड हेतु ऋणात्मक मार्किंग (1 यू ग्रेड हेतु 3 ऋणात्मक अंक 2 या 2 से अधिक यू ग्रेड होने पर अवार्ड हेतु शार्टलिस्ट हेतु विचार नहीं किया जावेगा)।	-	-3
संधारण		
1. वर्ष 2018-19 में DLP के अन्तर्गत मार्गों में वार्षिक आवश्यकता के विरुद्ध संधारण व्यय	-	10 अंक
2. वर्ष 2018-19 में संधारण के अन्तर्गत रिन्धूवल की जाने वाली लंबाई के लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धि	-	5 अंक

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten mark/initials in blue ink.

3. संधारण कार्यों के एन.क्यू.एम. द्वारा किये गये निरीक्षण-प्राप्त यू ग्रेड हेतु ऋणात्मक मार्किंग (1 यू ग्रेड हेतु 3 ऋणात्मक अंक 2 या 2 से अधिक यू ग्रेड होने पर अवार्ड हेतु शार्टलिस्ट हेतु विचार नहीं किया जावेगा)		-3
गुणवत्ता एवं समय-सीमा		
1. वर्ष 2018-19 में समस्त योजनाओं के ऐसे पैकेज जिनकी लागत 3 करोड़ के अधिक की हो एवं समयासीमा इस वित्तीय वर्ष में समाप्त हो रही हो की कुल संख्या के विरुद्ध समयसीमा में पूर्ण किये गये पैकेजों की संख्या बशर्तें उन पैकेज में सभी मार्ग संतोषजनक श्रेणी में हों।	-	10 अंक
सड़क सुरक्षा (Road Safety and Social/Environmental Safeguard)		
1. महाप्रबंधक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में वर्ष 2018-19 में सड़क सुरक्षा हेतु किये गये कार्यों के संबंध में प्रस्तुत विवरण का मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।	-	5 अंक
2. यदि सड़क सुरक्षा के संबंध में किये गये ऑडिट में विपरीत टीप अंकित की गई है अथवा किसी मार्ग में ब्लैक-स्पाट चिन्हित किया गया है तो ऋणात्मक मार्किंग।	-	-2 अंक
अन्य बिंदु		
1. जिन इकाईयों में दिनांक 01/04/2018 की स्थिति में 50 किमी का कार्य शेष रहा हो या वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परिमाण के नवीन कार्य स्वीकृत हो गये हों उन्हीं इकाईयों के Performance का आंकलन किया जावेगा।		
2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोई शास्ति /दण्ड न मिली हो, लोकायुक्त /EOW या अन्य कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज न हो तथा विभागीय जांच संस्थित न हो।		
3. कम से कम पाँच वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन में 3 क हो तथा कोई घ न हो। विगत वर्ष का क हो। संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए यह शर्त लागू नहीं है।		

(ब) परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में पदस्थ सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्री को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किये जाने बाबत मापदण्ड :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना		
1. पी.एम.जी.एस.वाय. कार्यों हेतु दिये गये वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि	-	10 अंक
2. पी.एम.जी.एस.वाय. कार्यों हेतु दिये गये भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि	-	25 अंक
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत न्यू टेक्नालॉजी में वर्ष 2018-19 में दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त की गई उपलब्धि	-	10 अंक
4. वर्ष 2018-19 में पूर्णता प्रमाण पत्र (सी.सी.) जारी होने के दो माह के भीतर किये गये फाइनेंशियल क्लोजर - (दिनांक	-	5 अंक

01/04/2018 तक जारी किये गये सी.सी. एवं वर्ष 2018-19 में जारी सी.सी. में सम्मिलित कुल पैकेजों के विरुद्ध 31/03/2019 तक समय सीमा में फाइनैशियल क्लोजर किये गये पैकेज)		
5. पी.एम.जी.एस.वाय. के कार्यों में एन.क्यू.एम. के निरीक्षण किये गये प्राप्त यू ग्रेड हेतु ऋणात्मक मार्किंग (1 यू ग्रेड हेतु 3 ऋणात्मक अंक 2 या 2 से अधिक यू ग्रेड होने पर अवार्ड हेतु शार्टलिस्ट हेतु विचार नहीं किया जावेगा)।	-	-3
राज्य स्तर की अन्य योजनाएं		
1. राज्य स्तर की अन्य सभी योजनाओं के कार्यों हेतु दिये गये वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धि	-	10 अंक
2. राज्य स्तर की अन्य सभी योजनाओं के कार्यों हेतु दिये गये भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धि	-	10 अंक
3. राज्य स्तर की अन्य योजनाओं के कार्यों में एस.क्यू.एम. के निरीक्षण किये गये प्राप्त यू ग्रेड हेतु ऋणात्मक मार्किंग (1 यू ग्रेड हेतु 3 ऋणात्मक अंक 2 या 2 से अधिक यू ग्रेड होने पर अवार्ड हेतु शार्टलिस्ट हेतु विचार नहीं किया जावेगा)।	-	-3
संधारण		
1. वर्ष 2018-19 में DLP के अन्तर्गत मार्गों में वार्षिक आवश्यकता के विरुद्ध संधारण व्यय	-	10 अंक
2. वर्ष 2018-19 में संधारण के अन्तर्गत रिन्यूवल की जाने वाली लंबाई के लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धि	-	5 अंक
3. संधारण कार्यों के एन.क्यू.एम. द्वारा किये गये निरीक्षण-प्राप्त यू ग्रेड हेतु ऋणात्मक मार्किंग (1 यू ग्रेड हेतु 3 ऋणात्मक अंक 2 या 2 से अधिक यू ग्रेड होने पर अवार्ड हेतु शार्टलिस्ट हेतु विचार नहीं किया जावेगा)	-	-3
गुणवत्ता एवं समय-सीमा		
1. वर्ष 2018-19 में समस्त योजनाओं के ऐसे पैकेज जिनकी लागत 3 करोड़ के अधिक की हो एवं समयासीमा इस वित्तीय वर्ष में समाप्त हो रही हो की कुल संख्या के विरुद्ध समयसीमा में पूर्ण किये गये पैकेजों की संख्या बशर्ते उन पैकेज में सभी मार्ग संतोषजनक श्रेणी में हों।	-	10 अंक
सड़क सुरक्षा (Road Safety and Social/Environmental Safeguard)		
1. संबंधित महाप्रबंधक अपने अधिनस्थ सहायक प्रबंधक/उपयंत्री द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में वर्ष 2018-19 में सड़क सुरक्षा हेतु किये गये कार्यों के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करेंगे। महाप्रबंधक द्वारा कुल अंक 5 में से मूल्यांकन करेंगे।	-	5 अंक
2. यदि सड़क सुरक्षा के संबंध में किये गये ऑडिट में विपरीत टीप अंकित की गई है अथवा किसी मार्ग में ब्लैक-स्पॉट चिन्हित किया गया है तो ऋणात्मक मार्किंग।	-	-2 अंक

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

अन्य बिंदु

<ol style="list-style-type: none"> 1. सहायक प्रबंधक/उपयंत्री के कार्यक्षेत्र में दिनांक 01/04/2018 की स्थिति में 15 किमी का कार्य शेष रहा हो या वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परिमाण के नवीन कार्य स्वीकृत हो गये हों उन्हीं अधिकारियों के Performance का आंकलन किया जावेगा। 2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोई शास्ति /दण्ड न मिली हो, लोकायुक्त /EOW या अन्य कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज न हो तथा विभागीय जाँच संस्थित न हो। 3. कम से कम पाँच वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन में 3 क हो तथा कोई घ न हो। विगत वर्ष का क हो। संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए यह शर्त लागू नहीं है। 4. सहायक प्रबंधकों/उपयंत्रियों का आंकलन संबंधित महाप्रबंधक द्वारा दिये गये कार्यभार के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धि के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी महाप्रबंधक द्वारा दी जाएगी। 5. म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्रियों के कार्यों पर मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अनुशंसा के आधार पर पुरस्कार हेतु आंकलन समिति द्वारा किया जाएगा। 	
--	--

(स) मुख्यालय एवं मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के अभियंताओं/अधिकारी/कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार के मापदण्ड :

(1) शाखा हेतु पुरस्कार : कार्यालय की सभी शाखाओं में वर्ष 2018-19 में किये गये उत्कृष्ट कार्य के संबंध में शाखा प्रभारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसका मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

(2) व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार : कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वर्ष 2018-19 में किये गये कार्यों का स्वमूल्यांकन करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसका समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन किया जाएगा।

Handwritten signature

1. लगातार उच्च गुणवत्ता का कार्य।
2. सौंपे गये कार्यों के अतिरिक्त कार्य करना।
3. सहकर्मियों के साथ कार्य एवं सहयोग करने की प्रवृत्ति।
4. सकारात्मक दृष्टिकोण।
5. आत्म निर्भरता एवं समय की पाबंदी।
6. स्वेच्छा से विशेष कार्यों के लिए सृजनात्मक सुझावों के साथ कार्य प्रवृत्ति।

Handwritten signature

7. सकारात्मक वातावरण के साथ प्राधिकरण की छवि को बढ़ाने के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति।
8. प्रभार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नियंत्रण हेतु किया गया नवाचार।
9. अन्य असाधारण एवं विशिष्ट कार्य।
10. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोई दण्ड/शास्ति नहीं मिली हो, लोकायुक्त/E.O.W. अथवा कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो, विभागीय जांच नहीं हो।
11. कम से कम 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन में तीन 'क' हो, कोई 'घ' न हो विगत वर्ष का 'क' हो। (संविदा के लिए यह शर्त लागू नहीं)

(द) संविदाकार को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किये जाने बाबत मापदण्ड:

- ठेकेदार द्वारा तीन करोड़ से अधिक के पैकेज के कार्य वर्ष 2018-19 में समयसीमा में संतोषप्रद श्रेणी के पूर्ण किये हों एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो। पैकेज के प्रगतिरत रहने के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में जारी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं एस.क्यू.एम./एन.क्यू.एम. द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन में गुणवत्ता संबंधी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। साथ ही अनुबंध के अन्तर्गत किसी भी कारण से कारण बताओ सूचना पत्र जारी नहीं किया हो।
- चयनित संविदाकार के प्रचलित संधारण अनुबंधों में संधारण नहीं करने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र अथवा संधारण अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की गई हो।

2. म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास पुरस्कार योजना वर्ष 2018-19 में चयन हेतु निर्धारित प्रारूप में ई-मेल cgm1mprrrda@rediffmail.com पर साफ्ट कॉपी एवं हस्ताक्षरित स्केन कॉपी पर जानकारी दिनांक 30 अप्रैल, 2019 तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय को प्रेषित की जानी होगी। निर्धारित दिनांक के बाद की जानकारी मान्य नहीं होगी।

3. म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास पुरस्कार योजना वर्ष 2018-19 में पुरस्कार हेतु चयन किये जाने के लिए निम्नानुसार अधिकारियों की समिति गठित की गई है :-


1. श्री उमाकांत पाण्डेय, मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.) – अध्यक्ष
2. श्री पी.के. निगम, मुख्य महाप्रबंधक (पी.एम.जी.एस.वाय) – सदस्य
3. श्री पी.के. झंवर, मुख्य महाप्रबंधक (वर्ल्ड बैंक) – सदस्य
4. श्री जे.एस. सिकरवार, मुख्य महाप्रबंधक (एस.क्यू.सी.) – सदस्य
5. श्री विजय गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (संधारण) – सदस्य


उक्त समिति 31 मई, 2019 तक पुरस्कार हेतु अधिकारी/कर्मचारियों का चयन कर कार्यवाही विवरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।


4. कार्यवाही विवरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत पुरस्कृत किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की चयन सूची का प्रकाशन प्राधिकरण की वेबसाइट पर किया जाएगा। चयनित अधिकारी/कर्मचारियों पर कोई आपत्ति या अन्य कोई दावे दिनांक 15 जून, 2019 तक प्राधिकरण मुख्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। निर्धारित दिनांक के बाद किसी प्रकार की आपत्ति अथवा दावे मान्य नहीं किये जाएंगे। तदुपरान्त चयनित सूची अंतिम रूप से मान्य की जाएगी।


5. पुरस्कार हेतु चयनित अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशस्ती-पत्र/मोमेंटो प्रदाय किया जाएगा। पुरस्कार समारोह दिनांक 15 सितम्बर, 2019 को अभियंता दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा।


6. म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास पुरस्कार योजना वर्ष 2018-19 में किसी प्रकार के मापदण्डों/अन्य प्रावधानों में परिवर्धन/परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा।


(पी.के. निगम)
मुख्य महाप्रबंधक (PMGSY)
सदस्य


(उमाकांत पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)
अध्यक्ष


(पी.के. झंवर)
मुख्य महाप्रबंधक (वर्ल्ड बैंक)
सदस्य


(जे.एस. सिकरवार)
मुख्य महाप्रबंधक (एस.क्यू.सी.)
सदस्य


(विजय गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक (संधारण)
सदस्य